संo:शिक्षा–एच (प्रा)बी(6)3-3/2021
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–171001 मई, 2022

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
30 MAY 2022
शिमला–1

सेवा में

समस्त उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, (ऊना)
हिमाचल प्रदेश।

विषयः– **पुरानी तथा अप्रासंगिक राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के आमेलन/समापन उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2022–23 से प्रभावी विभिन्न राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण।**

महोदय,

प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि तथा पुरानी एवं अप्रासंगिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्य प्रासंगिक योजनाओं में आमेलन सम्बन्धी मामला गत् काफी समय से विभाग के विचाराधीन था। उक्त मामला सरकार से उठाने तथा सरकार के अनुमोदनोपरान्त समस्त उप निदेशकों (प्रारंभिक शिक्षा), हिमाचल प्रदेश को अवगत करवाया जाता है कि विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं पर पुर्नविचार कर कुछ पुरानी तथा अप्रासंगित छात्रवृत्ति योजनाओं को समाप्त/अन्य योजनाओं में आमेलित कर, शेष सकिय छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत देय छात्रवृत्ति की दर में संशोधन/वृद्धि की गई है।

सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022–23 से 1) कन्या उपस्थिति छात्रवृत्ति योजना, 2) निर्धनता छात्रवृत्ति योजना तथा 3) प्री–मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनाओं को आई0आर0डी0पी छात्रवृत्ति तथा सशस्त्र सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति में समाहित/ आमेलित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त लाहौल स्पिति पद्धति पर आधारित छात्रवृत्ति, जो अब तक जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही थी, सत्र 2021–22 से प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा ही संचालित की जा रही है।

अतः शैक्षणिक सत्र 2022–23 से राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्ति राशि संशोधित दर पर ही वितरित की जाएगी। छात्रवृत्ति योजनाओं के आमेलन उपरान्त शेष सक्रिय छात्रवृत्ति योजनाओं सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना से युक्त मार्गदर्शिका सूचनार्थ संलग्न करते हुए समस्त उप निदेशकों (प्रारंभिक शिक्षा) को निर्देश दिये जाते हैं कि इससे पूर्व कि शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिये छात्रवृत्ति की मांग आमंत्रित की जाए वह अपने अधीन समस्त खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को यह दिशा–निर्देश जारी करें कि वह समस्त विद्यार्थियों के आधार तथा बैंक खातों की जानकारी जुटाकर रिकार्ड में रख लें क्योंकि नवीन व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्ति राशि का आबंटन संभवतः ऑनलाईन/पी0एफ0एम0एस0 माध्यम से सीधे तौर पर लाभार्थी के बैंक खाते में ही किया जाना है।

संलग्नः उपरोक्त।

निदेशक

पृष्ठांकन संo: सम। दिनांक शिमला–171001 मई, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1) प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, हि0प्र0, शिमला–171002
2) रक्षक नस्ति।

निदेशक

PERSONAL ATTENTION

Endst.No. EDN-U(A-I)Scholarship-2018-19/- 2923
Office of the,
Dy. Director Elementary Education Una Distt. Una(H.P)
Dated : 18/07/22 **Una, the**

Copy is being forwarded to all the **Principals/Headmasters/Incharges of GSSS/GHS/GMS and all the Block Elementary Education Officer of Distt.Una(HP)** for information and with the direction to strictly adhere to the instructions given by worthy Director of Elementary Education HP Shimla on the above letter.

Dy. Director Elementary Education,
Una Distt. Una(H.P)

(3)

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश की सरकारी पाठशालाओं में कक्षा प्रथम से आठवीं तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण एवं मार्गदर्शिका

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा प्रथम से आठवीं तक अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों के लिये विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता अथवा मैरिट के आधार पर विभाग द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 से प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं तथा इनके अन्तर्गत देय संशोधित लाभ का योजनाबार विवरण, यथा निम्न है:–

1. **आई0आर0डी0पी0 छात्रवृत्ति योजना:–** इस योजना के अन्तर्गत कक्षा प्रथम से आठवीं तक सरकारी पाठशालाओं में अध्ययनरत् प्रत्येक उस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ देय है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आई0आर0डी0पी0 प्रमाण पत्र धारक परिवार से सम्बन्ध रखता हो। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आई0आर0डी0पी0 प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्ष विभाग को प्रस्तुत करना होगा। यह छात्रवृत्ति लाभ निम्नानुसार देय होगा:–

कक्षा	सत्र 2021–22 तक दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि	वृद्धि उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022–23 से प्रभावी दर
कक्षा प्रथम से पांचवीं	मु0 150 रू0 प्रति विद्यार्थी / वार्षिक	मु0 500 रू0 (पांच सौ) प्रति विद्यार्थी / वार्षिक
कक्षा छठी से आठवीं	–250 रू0 प्रति छात्र / वार्षिक –500 रू0 प्रति छात्रा / वार्षिक	मु0 700 रू0 (सात सौ) प्रति विद्यार्थी (छात्र / छात्रा) / वार्षिक

2. **युद्ध अथवा किसी भी प्रकार की सैनिक कार्यवाही में मारे गये अथवा अपंग सशस्त्र सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति:–** इस योजना के अन्तर्गत युद्ध में मारे गए अथवा अपंग हुए सैनिकों के बच्चों / आश्रितों के लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में जहां सैनिकों की अपंगता 50 प्रतिशत से कम होगी, छात्रवृत्ति की देय राशि का 50 प्रतिशत भाग लाभार्थी को आबंटित किया जाएगा।

उक्त छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु कक्षा प्रथम से आठवीं तक पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपनी संस्था के मुख्याध्यापक के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ लाभार्थी को अपने जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

	सत्र 2021–22 तक दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि	वृद्धि उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022–23 से प्रभावी दर
सैनिक कार्यवाही में शहीद होने अथवा 50 प्रतिशत से अधिक अपंगता की स्थिति में	मु0 150 रू0 प्रति विद्यार्थी / वार्षिक	मु0 25,000 रू0 (पच्चीस हज़ार) प्रति विद्यार्थी / वार्षिक
50 प्रतिशत से कम अपंगता की स्थिति में	देय राशि का आधा	मु0 12,500 रू0 (बारह हज़ार पांच सौ) प्रति विद्यार्थी (छात्र / छात्रा) / वार्षिक

3. **मिडिल मैरिट छात्रवृति/मेधावी छात्रवृत्ति योजनाः–** इस योजना के अन्तर्गत एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा में हर वर्ष प्रत्येक शिक्षा खंड में प्रथम चार स्थान पाने वाले विद्यार्थियों (दो छात्र एवं दो छात्राओं) को छात्रवृति प्रदान की जाती है।

पात्रताः– उक्त छात्रवृति को प्राप्त करने के लिए मात्र उन्हीं छात्र/छात्राओं की पात्रता मान्य होगी जो विद्यार्थी छठी कक्षा में हिमाचल प्रदेश की किसी सरकारी पाठशाला में अध्ययनरत् हों। चयनित छात्रों को यह छात्रवृत्ति सातवीं तथा आठवीं कक्षा में भी देय होगी यदि वे पिछली कक्षा में पूर्णतया उत्तीर्ण हों।

क्र0सं0	योजना का नाम	सत्र 2021–22 तक दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि	वृद्धि उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022–23 से प्रभावी दर
1	मेधावी छात्रवृत्ति योजना	मु0 800 रू0 प्रति विद्यार्थी/ वार्षिक (कक्षा प्रथम से आठवीं तक)	मु0 1200/–रू0 (एक हज़ार दो सौ) वार्षिक (कक्षा प्रथम से आठवीं तक)

4. **लाहौल–स्पिति पद्वति पर आधारित छात्रवृत्तिः–** यह छात्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश के सभी जनजातीय क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को निम्नानुसार देय होगीः–

क्र0सं0	योजना का नाम	सत्र 2021–22 तक दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि	वित्तीय वर्ष 2022–23 से प्रभावी दर
1	लाहौल–स्पिति पद्वति पर आधारित छात्रवृत्ति	मु0 80 रू0 प्रति विद्यार्थी/ वार्षिक (कक्षा प्रथम से आठवीं तक)	मु0 80 रू0 प्रति विद्यार्थी/ वार्षिक (कक्षा प्रथम से आठवीं तक)

5. **हि0प्र0 स्वर्ण जयन्ती मिडिल मैरिट छात्रवृत्ति योजनाः–** इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन एस0सी0ई0आर0टी0, सोलन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित राज्य-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। उक्त परीक्षा में राज्य भर में अधिकतम् अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, विभिन्न जिलों की औसत छात्र नामांकन संख्या के आधार पर जिलाबार विभक्त संख्या के आधार पर, निम्नानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगीः–

क्र0 सं0	जिला का नाम	जिलाबार लाभार्थियों/ छात्रवृत्तियों की संख्या	छात्रवृत्ति की राशि(प्रतिमाह)
1	बिलासपुर	05	–कक्षा छठी में मु0 4000/–(चार हज़ार रू0) –कक्षा सातवीं में मु0 5000/–(पांच हज़ार रू0) –कक्षा आठवीं में मु0 6000/–(छह हज़ार रू0)
2	चम्बा	12	
3	हमीरपुर	05	
4	कांगड़ा	14	
5	किन्नौर	01	
6	कुल्लू	08	
7	लाहौल स्पिति	01	
8	मण्डी	14	
9	शिमला	11	
10	सिरमौर	11	
11	सोलन	11	
12	ऊना	07	
	कुल योग	**100**	

(5)

सामान्य दिशा–निर्देश :–

1. उक्त सभी छात्रवृत्ति योजनाएं केवल सरकारी पाठशालाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों पर ही लागू होंगी।
2. मेधावी छात्रवृत्ति तथा स्वर्ण जयन्ती मिडिल मैरिट छात्रवृत्ति के अन्तर्गत लगातार तीन वर्ष तक छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करते रहने हेतु चयनित विद्यार्थी का निरन्तर तीन वर्ष तक (छठी से आठवीं तक) सरकारी पाठशाला में ही अध्ययनरत् रहना आवश्यक होगा।
3. जिस शैक्षणिक सत्र के लिये विद्यार्थी छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है उस सत्र में उसे पाठशाला में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति भी सुनिश्चित करनी होगी। केवल गंभीर चिकित्सीय कारणों की स्थिति में ही इस शर्त में छूट प्रदान की जाएगी।
4. एक विद्यार्थी एक समय में उक्त में से केवल एक छात्रवृत्ति का ही लाभ प्राप्त कर पायेगा।
5. यदि मेधावी छात्रवृत्ति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र विद्यार्थी स्वर्ण जयन्ती मिडिल मैरिट छात्रवृत्ति के अन्तर्गत भी चयनित होता है तथा स्वर्ण जयन्ती मिडिल मैरिट छात्रवृत्ति के अन्तर्गत ही लाभ लेना चाहता है, अथवा विपरीत क्रम में भी हो, तो उससे इस आशय का विकल्प लिया जाए तथा जो छात्रवृत्ति लाभार्थी द्वारा छोड़ी गई उसमें मैरिट क्रम में अगला विद्यार्थी लाभ हेतु पात्र होगा।
6. छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सभी दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूर्ण करना होगा।

उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से जिला स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई:–

1. समस्त उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार उनके अधीन समस्त खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा प्रधानाचार्यों/मुख्यअध्यापकों/केन्द्रीय मुख्य शिक्षकों के माध्यम से समय पर पात्र लाभार्थियों के आवेदन भर कर उचित स्तर तक आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु पहुंचें।
2. समस्त उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पात्र/चयनित विद्यार्थियों के आवेदन तथा आबंटित लाभ से सम्बन्धित पूर्ण रिकार्ड/सूचना अपने कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखें ताकि लेखा परीक्षा के समय कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा निदेशालय द्वारा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने की स्थिति में तुरन्त सूचना निदेशालय में प्रस्तुत की जा सके।
3. जो भी सूचना खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अथवा तथा प्रधानाचार्यों/मुख्यअध्यापकों/केन्द्रीय मुख्य शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त कर निदेशालय को प्रेषित की जानी होगी, सम्बन्धित उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर उसकी पुष्टि/सत्यापन करेंगे।
4. छात्रवृत्ति योजनाओं का पाठशाला स्तर तक सही रूप में तथा समयानुसार क्रियान्वयन करवाना सम्बन्धित उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होगा।
5. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अपने जिले में सरकार/ विभाग द्वारा चलाई जा रही समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं का भरपूर प्रचार प्रसार करें ताकि विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को इस योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।

खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से खंड स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई:–

1. खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार उनके खंड के समस्त प्रधानाचार्यों/ मुख्यअध्यापकों/केन्द्रीय मुख्य शिक्षकों के माध्यम से समय पर पात्र लाभार्थियों के आवेदन भर कर उचित स्तर तक आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु पहुंचें।

2. समस्त खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पात्र/चयनित विद्यार्थियों के आवेदन तथा आबंटित लाभ से सम्बन्धित पूर्ण रिकार्ड/सूचना अपने कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखें ताकि लेखा परीक्षा के समय कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने की स्थिति में सूचना तुरन्त प्रस्तुत की जा सके।

3. जो भी सूचना प्रधानाचार्यों/मुख्यअध्यापकों/केन्द्रीय मुख्य शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त कर उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय को प्रेषित की जानी होगी, सम्बन्धित खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर उसकी पुष्टि/सत्यापन करेंगे।

4. प्रत्येक शिक्षा खंड में छात्रवृत्ति योजनाओं का पाठशाला स्तर तक सही रूप में तथा समयानुसार कियान्वयन करवाना सम्बन्धित खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

5. खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने शिक्षा खंड में सरकार/ विभाग द्वारा चलाई जा रही समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं का भरपूर प्रचार प्रसार करें ताकि विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को इस योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।

<u>विद्यालय स्तर पर अपेक्षित कार्रवाईः–</u>

1. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/मुख्यअध्यापक/केन्द्रीय मुख्य शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन समय पर भर कर उचित स्तर तक आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु पहुंचें।

2. पात्र/चयनित विद्यार्थियों के आवेदन तथा आबंटित लाभ से सम्बन्धित पूर्ण रिकार्ड/सूचना अपने कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखें ताकि लेखा परीक्षा के समय कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने की स्थिति में सूचना तुरन्त प्रस्तुत की जा सके।

3. जो भी सूचना आगामी कार्रवाई हेतु भेजी जानी होगी, विद्यालय प्रमुख पहले अपने स्तर पर उसकी पुष्टि/सत्यापन करेंगे।

4. पाठशाला स्तर पर सही रूप में तथा समयानुसार छात्रवृत्ति योजनाओं का कियान्वयन करवाना पाठशाला प्रमुख का उत्तरदायित्व होगा।

5. विद्यालय प्रमुख सरकार/ विभाग द्वारा चलाई जा रही समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के विषय में प्रातःकालीन प्रार्थना सभाओं में समस्त विद्यार्थियों तथा विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से समस्त अभिभावकों को पूर्ण जानकारी दें ताकि सभी विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को इस योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।